[2008] 2 एस. सी. आर. 652

सी.आई टी, बड़ौदा

बनाम

ईश्वर भुवन होटल्स लिमिटेड. बड़ौदा

(सिविल अपील नं. 2006 का 2594)

8 फ़रवरी 2008

[एस. एच. कपाड़िया और बी. सुदर्शन रेड्डी, जे जे.]

आयकर अधिनियम, 1961-एस. 36(1)(iii)-संबंधित वित्तीय वर्ष में उपयोग में न लाई गई पूंजीगत संपत्तियों पर उधार लेना-भुगतान किए गए ब्याज पर प्रावधान-धारित के तहत स्वीकार्य कटौती के रूप में अनुमति दी जा सकती है: हां।

उप. कमिश्नर आयकर विभाग, अहमदाबाद बनाम मैसर्स कोर हेल्थ केयर लिमिटेड ने 2002 की सिविल अपील संख्या 3952-55 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 08.02.2008 को दिए गए फैसले का अवलम्ब लिया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2006 की सिविल अपील संख्या 2594

टैक्स अपील संख्या 529/2003 में अहमदाबाद स्थित गुजरात उच्च न्यायालय के

दिनांक 19.10.2005 के अंतिम निर्णय और आदेश से।

पी. विश्वनाथ शेट्टी, श्री. श्रीनिवास मूर्ति, गौरव अग्रवाल और बी. बलराम दास - अपीलकर्ता के लिए।

प्रतिवादी की ओर से ई.सी. अग्रवाल।

अदालत का फैसला कपाड़िया, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. विभाग द्वारा दायर की गई इस सिविल अपील में निर्धारण के लिए कानून का प्रश्न उठता है, जो प्रश्न इस प्रकार है:

> "क्या संबंधित वित्तीय वर्ष में उपयोग में नहीं लाई गई पूंजीगत संपत्तियों पर उधार के संबंध में भुगतान किए गए ब्याज को धारा 36 (1)(iii) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत स्वीकार्य कटौती के रूप में अनुमति दी जा सकती है?"

2. उपर्युक्त प्रश्न का हमारा उत्तर पूरी तरह से निर्धारिती के पक्ष में और विभाग के विरुद्ध उप निदेशक आयकर विभाग, अहमदाबाद बनाम मैसर्स कोर हेल्थ केयर लिमिटेड 2002 की सिविल अपील संख्या 3952-55 के मामले में हमारे निर्णय द्वारा कवर किया गया है।

3. तदनुसार उपरोक्त प्रश्न का उत्तर निर्धारिती के पक्ष में और विभाग के विरुद्ध दिया गया है। नतीजतन, विभाग की सिविल अपील खर्चे के संबंध में बिना

किसी आदेश के खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सागर माथुर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।